छत्तीसगढ़ शासन

अलाभकारी संस्थाओं से संबंधित सर्वेक्षण रिपोर्ट
(प्रथम चरण) वर्ष 2010

NON-PROFIT INSTITUTION`S SURVEY REPORT
(FIRST PHASE) (YEAR 2010)

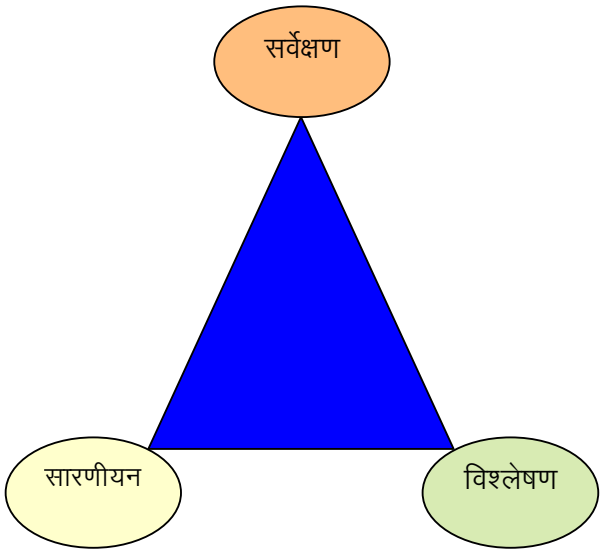

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन

अलाभकारी संस्थाओं से संबंधित सर्वेक्षण रिपोर्ट

(प्रथम चरण) वर्ष 2010

NON-PROFIT INSTITUTION`S SURVEY REPORT

(FIRST PHASE) (YEAR 2010)

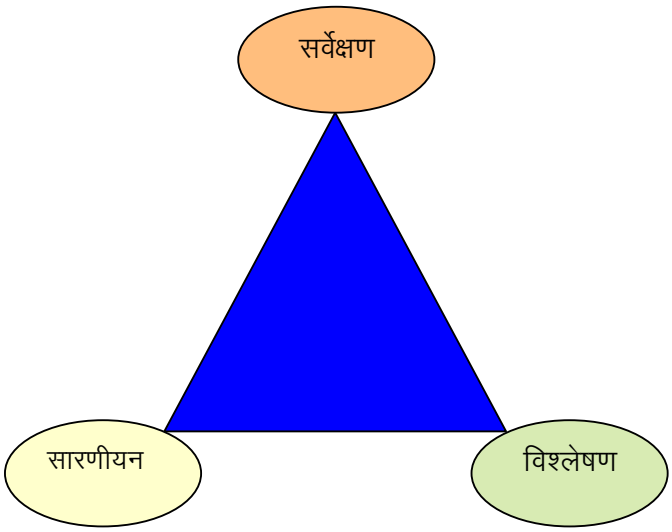

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़, रायपुर

प्रस्तावना

अलाभकारी संस्थाओं मे निरन्तर हो रही वृद्धि एवं इसके महत्व को दृष्टिगत रखते हुए ''राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी'' तैयार करने हेतु केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के दिशा निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत राज्य बनने से पूर्व एवं पश्चात् पंजीकृत लाभकारी संस्थाओं का सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है । यह कार्य दो चरणों में किया जाना है ।

अलाभकारी संस्थाओं के सर्वेक्षण में प्रथम चरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा इन अलाभकारी संस्थाओं का जिला, पंजीयन अवधि तथा कार्यकलाप के आधार पर विश्लेषण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है । इससे पूर्व अलाभकारी पंजीकृत संस्थाओं के संबंध में उपरोक्त विवरण के आधार पर जानकारी उपलब्ध नहीं थी । प्रकाशन में प्रस्तुत जानकारी इस विषय में रुचि रखने वाले व्यक्ति, संस्थाऐं, शोधकर्ताओं के लिये उपयोगी होगी । प्रस्तुत प्रकाशन के संबंध में कोई भी सुझाव एवं सुधार का सदैव स्वागत है ।

रायपुर,

दिनांक : मई 2010

(आर. एस. विश्वकर्मा)
आयुक्त सह संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी, संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

प्रकाशन तैयार करने में सहयोगी अधिकारी/कर्मचारी

	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	श्री उमेश ओगरे	सयुक्त संचालक
2.	सुश्री माया तिवारी	उप संचालक
3.	श्री आर.जी.एस.चौहान	सहायक संचालक
4.	श्री जे. एन. पाटीदार	सहायक संचालक
5.	श्री एस. के. चन्द्राकर	सहायक संचालक
6.	श्रीमती सरोज सिहं कंवर	सहायक संचालक
7.	श्री हर्षनारायण मिश्रा	कम्प्यूटर आपरेटर

:: विषय सूची ::

क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में	01
2	अलाभकारी संस्थायें – एक परिचय	02
3	अलाभकारी संस्थाओं के पंजीयन हेतु अधिनियम	03
4	अलाभकारी संस्थायें–वर्षवार विवरण	04
5	तालिका क्र.–1 पंजीकृत अलाभकारी संस्थायें ग्रामीण/शहरी	05
6	तालिका क्र.–2 जिला एवं कार्यकलाप अनुसार पंजीकृत संस्थायें	06
7	तालिका क्र.–3 पंजीयन अवधि एवं कार्यकलाप अनुसार पंजीकृत संस्थायें	07
8	तालिका क्र.–4 जिला एवं पंजीयन अवधि अनुसार पंजीकृत संस्थायें	08
9	तालिका क्र.–5 कार्यकलाप अनुसार पुरूष व महिला सदस्य	09
10	तालिका क्र.–6 जिला अनुसार पुरूष व महिला सदस्य	10
11	तालिका क्र.–7 स्थान अनुसार पुरूष व महिला सदस्य	10
12	तालिका क्र.–8 कार्यकलाप अनुसार ग्रामीण व शहरी अलाभकारी संस्थायें	11
13	तालिका क्र.–9 राज्य गठन पूर्व/पश्चात, ग्रामीण/शहरी संस्थाओं का प्रतिशत	12
14	अलाभकारी संस्थाऍं –चाट्र्स/ग्राफ्स	13–17
15	समिति पंजीयन हेतु मार्गदर्शिका एवं नियमावली	18–26

छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में

भौगोलिक क्षेत्रफल (ग्रामीण पत्रक अनुसार	वर्ग कि.मी.	संदर्भ (अवधि समय)	137898
जिला	संख्या	मार्च, 2010	18
तहसीलें	–''–	–''–	149
जनपद पंचायतें	–''–	–''–	146
आदिवासी विकास खण्ड	–''–	–''–	85
कुल ग्राम	–''–	जनगणना 2001	20308
कुल जनसंख्या	हजार	–''–	20834
पुरूष	–''–	–''–	10474
स्त्री	–''–	–''–	10360
ग्रामीण	–''–	–''–	16648
नगरीय	–''–	–''–	4186
अनुसूचित जाति	–''–	–''–	2419
अनुसूचित जन जाति	–''–	–''–	6617
जनसंख्या वृद्धि दर (1991–2001)	प्रतिशत	–''–	18.06
जनसंख्या का घनत्व	प्रति वर्ग किमी.	–''–	154
स्त्री–पुरूष अनुपात	प्रति हजार पुरूषो पर स्त्रियां	–''–	989
प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद –त्वरित अनुमान)			
प्रचलित भावों पर	रूपये	2008–09	34483
स्थिर (1999–2000) भावों पर	–''–	–''–	19521
साक्षरता (कुल)	प्रतिशत	जनगणना 2001	64.66
पुरूष	–''–	–''–	77.38
स्त्री	–''–	–''–	51.85

अलाभकारी संस्थायें – एक परिचय

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अलाभकारी संस्थाओं की वृद्धि एवं महत्व को दृष्टिगत एवं सार्वजनिक/आर्थिक क्षेत्र में अभिज्ञान हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के सांख्यिकी प्रभाग योजना आयोग, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत 31.3.2009 तक पंजीकृत समस्त अलाभकारी संस्थाओं/की सूची को कम्प्यूटरीकरण करने एवं सर्वेक्षण द्वारा आर्थिक कार्यकलापों की सूचनायें एकत्र करने का निर्णय लिया गया हैं। जिसमें प्रथम चरण में सभी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण एवं द्वितीय चरण में सर्वेक्षण कार्य सम्मिलित किया गया हैं।

- राज्य में सर्वाधिक रायपुर जिले में 25.6 प्रतिशत, सबसे कम दन्तेवाड़ा में 0.5 प्रतिशत अलाभकारी संस्थायें पंजीकृत हैं ।
- ग्रामीण क्षेत्र में 59 प्रतिशत एवं नगरीय क्षेत्रों में 41 प्रतिशत पंजीकृत संस्थायें हैं ।
- राज्य के रायपुर जिले के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक 33.3 व 20.09 प्रतिशत अलाभकारी संस्थायें पंजीकृत हैं ।

अलाभकारी –पंजीयन हेतु अधिनियम

अलाभकारी संस्थाओं का आशय व्यक्ति, व्यक्ति समूह, व्यवसायिक समूह अथवा सरकार से बिना किसी लाभ ,हानि, प्रत्याशा के राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं का उत्पादन एवं सेवाओं का सृजन कार्य हेतु विधि द्वारा स्थापित संस्थायें होती हैं। इन कार्यक्रमों के संचालन हेतु कार्यकारिणी के सदस्य एवं स्वयंसेवी कार्यकर्ता होते हैं, किन्तु कुछ बड़ी संस्थायें वैतनिक कर्मचारियों द्वारा भी संचालित होती हैं। इन संस्थाओं की बचत, संस्था के सदस्य, प्रबन्धकों अथवा अन्य लोगो के बीच वितरित न कर, संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में प्रयुक्त किया जाता है । इन संस्थाओं को राज्य करों से छूट प्राप्त होती है।

छत्तीसगढ़ राज्य में अविभाजित राज्य मध्य प्रदेश के नियम एवं निर्देशिका के अनुसार अलाभकारी संस्थाओं का पंजीयन कार्य किया जा रहा हैं, जो कि केन्द्रीय सोसायटी एक्ट, 1860 के अधीन है ।

सर्वेक्षण के प्रथम चरण में 39901 पंजीकृत सस्थाओं का कम्प्यूटराईजेशन कार्य निविदा प्रक्रिया द्वारा संचालनालय के निर्देशन में पूर्ण किया गया है ।

पंजीयन प्रपत्र के अनुसार कार्यकलापों के आधार पर जिला अनुसार अलाभकारी संस्थाओं के पंजीयनों का कार्य किया गया है ।

- अलाभकारी संस्थाओं को कार्यकलापों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सर्वाधिक 49.6 प्रतिशत सेवा क्षेत्र में एवं सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों क्षेत्र में 0.03 प्रतिशत हैं ।
- सेवा क्षेत्र मे सर्वाधिक संस्थाऍ 7.79 प्रतिशत रायपुर जिले में हैं ।

अलाभकारी संस्थायें–वर्षवार विवरण

पंजीयक फर्म्स एवं सोसायटी से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार 1990 के पूर्व छत्तीसगढ़ में मात्र 3811 अलाभकारी संस्थायें पंजीकृत थीं । वर्ष 1990 से 2000 अर्थात राज्य निर्माण के पूर्व तक 9892 संस्थायें पंजीकृत हुई। राज्य निर्माण के पश्चात 26198 संस्थाओं का पंजीयन किया गया है। क्रियाकलाप की दृष्टि से सेवा क्षेत्र में अधिकतर संस्थाएॅ पंजीकृत हुई हैं। इसी प्रकार सेवा क्षेत्र मे महिला स्व–सहायता समूह की 54 प्रतिशत तक अलाभकारी संस्थाओं का पंजीयन किया गया। किन्तु सभी कार्यकलापों में पुरूष एवं महिला सदस्यों का क्रमशः प्रतिशत 51 व 49 प्रतिशत है। रायपुर जिले में सर्वाधिक महिला सदस्यों की संख्या 89293 अर्थात 24.7 प्रतिशत प्रतिवेदित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सदस्यों की संख्या सर्वाधिक 56 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र में कम 38 प्रतिशत है।

तालिका–1

पंजीकृत अलाभकारी संस्थायें ग्रामीण/शहरी

जिला कोड	जिला	स्थान कोड					
		ग्रामीण		शहरी		कुल	
		संस्था	प्रतिशत	संस्था	प्रतिशत	संस्था	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कोरिया	445	1.94	95	0.56	540	**1.35**
2	सरगुजा	1059	4.61	454	2.68	1513	**3.79**
3	जशपुर	356	1.55	87	0.51	443	**1.11**
4	रायगढ़	1693	7.38	438	2.58	2131	**5.34**
5	कोरबा	874	3.81	476	2.81	1350	**3.38**
6	जांजगीर चांपा	2642	11.51	513	3.03	3155	**7.91**
7	बिलासपुर	3465	15.10	2499	14.74	5964	**14.95**
8	कवर्धा	348	1.52	178	1.05	526	**1.32**
9	राजनांदगॉव	2095	9.13	1047	6.18	3142	**7.87**
10	दुर्ग	3234	14.09	4067	23.99	7301	**18.30**
11	रायपुर	4611	20.09	5594	33.00	10205	**25.58**
12	महासमुंद	779	3.39	420	2.48	1199	**3.00**
13	धमतरी	549	2.39	318	1.88	867	**2.17**
14	कांकेर	229	1.00	156	0.92	385	**0.96**
15	बस्तर	473	2.06	525	3.10	998	**2.50**
16	दन्तेवाड़ा	95	0.41	87	0.51	182	**0.46**
कुल		**22947**	**57.51**	**16954**	**42.49**	**39901**	**100.00**

तालिका – 2

जिला एवं कार्यकलाप अनुसार पंजीकृत संस्थायें

कार्यकलाप कोड	कार्यकलाप	कोरिया	सरगुजा	जशपुर	रायगढ़	कोरबा	जांजगीर चांपा	बिलासपुर	कवर्धा	राजनादगॉव	दुर्ग	रायपुर	महासमुंद	धमतरी	कांकेर	बस्तर	दंतेवाडा	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	सांस्कृतिक एवं आमोद प्रमोद	4	21	4	22	26	63	96	95	489	863	1059	152	126	58	117	31	3226
2	शिक्षा एवं शोध	214	479	89	288	318	513	1017	51	286	947	1420	96	115	66	162	19	6080
3	स्वास्थ्य	25	30	8	50	16	27	106	37	78	180	242	40	32	51	114	37	1073
4	सामाजिक सेवायें	262	862	319	1676	888	2443	4429	177	1592	2687	3180	437	281	130	382	40	19785
5	पर्यावरण	6	8	4	7	4	5	18	17	55	36	82	26	10	2	31	25	336
6	विकास एवं आवास	1	3	1	0	0	3	4	3	22	53	122	13	3	3	20	5	256
7	विधिक एवं राजनैतिक	0	0	0	0	0	0	3	3	2	7	7	0	0	0	1	0	23
8	स्वयंसेवी संस्थाऐ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0		1	4
9	अंतरराष्ट्रीय	1	1	2	0	0	0	2	0	2	1	1	0	0	0	1		11
10	धार्मिक	6	10	2	14	11	18	28	8	35	103	128	14	13	7	12	2	411
11	व्यावसायिक , पेशेवर संस्थाए एवं संघ	17	73	9	48	63	59	156	129	565	2374	3907	413	282	59	149	20	8323
12	अवर्गीकृत	4	26	5	25	24	24	105	6	16	50	55	8	5	9	9	2	373
कुल		**540**	**1513**	**443**	**2131**	**1350**	**3155**	**5964**	**526**	**3142**	**7301**	**10205**	**1199**	**867**	**385**	**998**	**182**	**39901**

तालिका– 3

पंजीयन अवधि एवं कार्यकलाप अनुसार पंजीकृत संस्थायें

कार्यकलाप	कार्यकलाप कोड	अवधि				
		1990 तक	1990 से 2000	2000 से 2009 तक	कुल	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
सांस्कृतिक एवं अमोद प्रमोद	1	352	582	2292	3226	8.09
शिक्षा एवं शोध	2	558	2136	3386	6080	15.24
स्वास्थ्य	3	80	284	709	1073	2.69
सामाजिक सेवायें	4	2351	6049	11385	19785	49.59
पर्यावरण	5	3	17	316	336	0.84
विकास एवं आवास	6	19	80	157	256	0.64
विधिक एवं राजनैतिक	7	2	8	13	23	0.06
स्वयंसेवी संस्थाऐ	8	0	0	4	4	0.01
अंतर्राष्ट्रीय	9	1	3	7	11	0.03
धार्मिक	10	41	130	240	411	1.03
व्यावसायिक, पेशेवर संस्थाएं एवं संघ	11	311	457	7555	8323	20.86
अवर्गीकृत	12	93	146	134	373	0.93
कुल		**3811**	**9892**	**26198**	**39901**	**100.00**

तालिका–4

जिला एवं पंजीयन अवधि अनुसार पंजीकृत संस्थायें

जिला कोड	जिला	अवधि अनुसार– अलाभकारी संस्थाएँ			कुल
		1990 तक	1990 से 2000	2001 से 2009 तक	
1	2	3	4	5	6
1	कोरिया	81	162	297	540
2	सरगुजा	149	582	782	1513
3	जशपुर	98	94	251	443
4	रायगढ़	223	544	1364	2131
5	कोरबा	99	336	915	1350
6	जांजगीर चांपा	195	483	2477	3155
7	बिलासपुर	483	1561	3920	5964
8	कवर्धा	7	65	454	526
9	राजनांदगॉव	539	1086	1517	3142
10	दुर्ग	880	2004	4417	7301
11	रायपुर	865	2203	7137	10205
12	महासमुंद	24	259	916	1199
13	धमतरी	29	148	690	867
14	कांकेर	5	44	336	385
15	बस्तर	133	298	567	998
16	दन्तेवाड़ा	1	23	158	182
कुल		**3811**	**9892**	**26198**	**39901**
प्रतिशत		**9.55**	**24.79**	**65.66**	**100.00**

तालिका– 5
कार्यकलाप अनुसार पुरूष व महिला सदस्य

कार्यकलाप	कार्याकलाप कोड	पुरुष		महिला		कुल
		सदस्य	पुरुष	सदस्य	महिला	
1	2	3	4	5	6	7
सांस्कृतिक एवं आमोद प्रमोद	1	20481	68	9541	32	30022
शिक्षा एवं शोध	2	38931	77	11502	23	50433
स्वास्थ्य	3	6995	79	1893	21	8888
सामाजिक सेवायें	4	86174	46	100331	54	186505
पर्यावरण	5	2964	86	501	14	3465
विकास एवं आवास	6	1779	75	581	25	2360
विधिक एवं राजनैतिक	7	104	55	85	45	189
स्वयंसेवी संस्थाऍं	8	22	73	8	27	30
अंतर्राष्ट्रीय	9	67	77	20	23	87
धार्मिक	10	2858	74	1000	26	3858
व्यवसायिक, पेशेवर संस्थाएं एवं संघ	11	22643	31	49486	69	72129
अवर्गीकृत	12	3064	90	326	10	3390
कुल		**186082**	**51**	**175274**	**49**	**361356**

तालिका – 6

जिला अनुसार पुरूष व महिला सदस्य

जिला कोड	जिला	पुरुष		महिला		कुल	
		सदस्य	प्रतिशत	सदस्य	प्रतिशत	सदस्य	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कोरिया	3592	76.44	1107	23.56	4699	1.30
2	सरगुजा	10890	79.92	2736	20.08	13626	3.77
3	जशपुर	2805	78.68	760	21.32	3565	0.99
4	रायगढ़	9287	46.93	10500	53.07	19787	5.48
5	कोरबा	7724	61.19	4899	38.81	12623	3.49
6	जांजगीर चांपा	12521	40.41	18462	59.59	30983	8.57
7	बिलासपुर	26577	47.61	29244	52.39	55821	15.45
8	कवर्धा	3477	66.74	1733	33.26	5210	1.44
9	राजनांदगॉव	16043	54.41	13445	45.59	29488	8.16
10	दुर्ग	31370	49.89	31505	50.11	62875	17.40
11	रायपुर	42792	47.92	46501	52.08	89293	24.71
12	महासमुंद	4878	43.80	6260	56.20	11138	3.08
13	धमतरी	4300	52.85	3837	47.15	8137	2.25
14	कांकेर	2846	79.92	715	20.08	3561	0.99
15	बस्तर	5520	62.34	3334	37.66	8854	2.45
16	दन्तेवाड़ा	1460	86.08	236	13.92	1696	0.47
कुल		**186082**	**51.50**	**175274**	**48.50**	**361356**	**100.00**

तालिका– 7

स्थान अनुसार पुरूष व महिला सदस्य

स्थान का कोड	स्थान का नाम	पुरुष		महिला		कुल	
		सदस्य	प्रतिशत	सदस्य	प्रतिशत	सदस्य	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्रामीण	93330	44	119150	56	212480	59
2	शहरी	92752	62	56124	38	148876	41
कुल		**186082**	**51**	**175274**	**49**	**361356**	**100**

तालिका – 8

कार्यकलाप अनुसार ग्रामीण व शहरी अलाभकारी संस्थायें

कार्यकलाप	कार्यकलाप कोड	स्थान अनुसार		कुल
		ग्रामीण	शहरी	
1	2	3	4	5
सांस्कृतिक एवं अमोद प्रमोद	1	1479	1747	3226
शिक्षा एवं शोध	2	2677	3403	6080
स्वास्थ्य	3	607	466	1073
सामाजिक सेवायें	4	12989	6796	19785
पर्यावरण	5	239	97	336
विकास एवं आवास	6	84	172	256
विधिक एवं राजनैतिक	7	7	16	23
स्वयंसेवी संस्थाऐ	8	1	3	4
अंतर्राष्ट्रीय	9	6	5	11
धार्मिक	10	172	239	411
व्यवसायिक, पेशेवर संस्थाएं एवं संघ	11	4513	3810	8323
अवर्गीकृत	12	172	201	373
कुल		**22946**	**16955**	**39901**
प्रतिशत		**57.51**	**42.49**	**100.00**

तालिका 9

राज्य गठन पूर्व /पश्चात, ग्रामीण/शहरी संस्थाओं का प्रतिशत

अवधि (वर्ष)	स्थान अनुसार				कुल	
	ग्रामीण		शहरी			
	संस्था	प्रतिशत	संस्था	प्रतिशत	संस्था	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1990 तक	1959	8.54	1852	10.92	3811	9.55
1990 से 2000	5499	23.96	4393	25.91	9892	24.79
2000 से 2009 तक	15488	67.50	10710	63.17	26198	65.66
कुल	**22946**	**100.00**	**16955**	**100.00**	**39901**	**100.00**

पंजीयन अवधि एवं कार्यकलाप अनुसार पंजीकृत संस्थायें

संदर्भ तालिका क्र.3

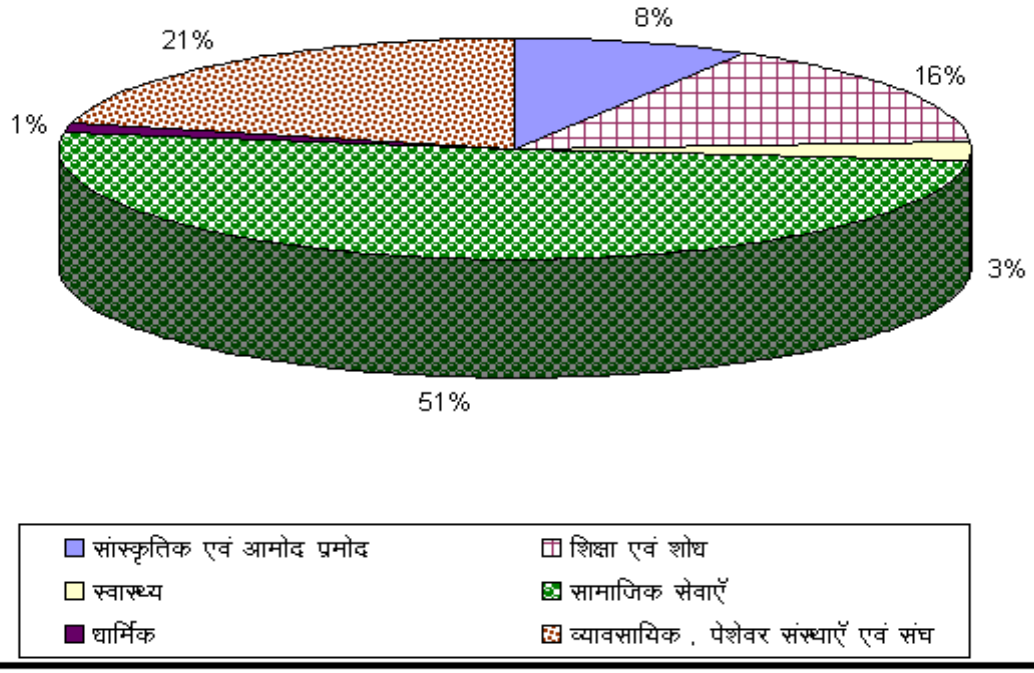

जिला एवं पंजीयन अवधि अनुसार पंजीकृत संस्थायें

संदर्भ तालिका क्र. –4

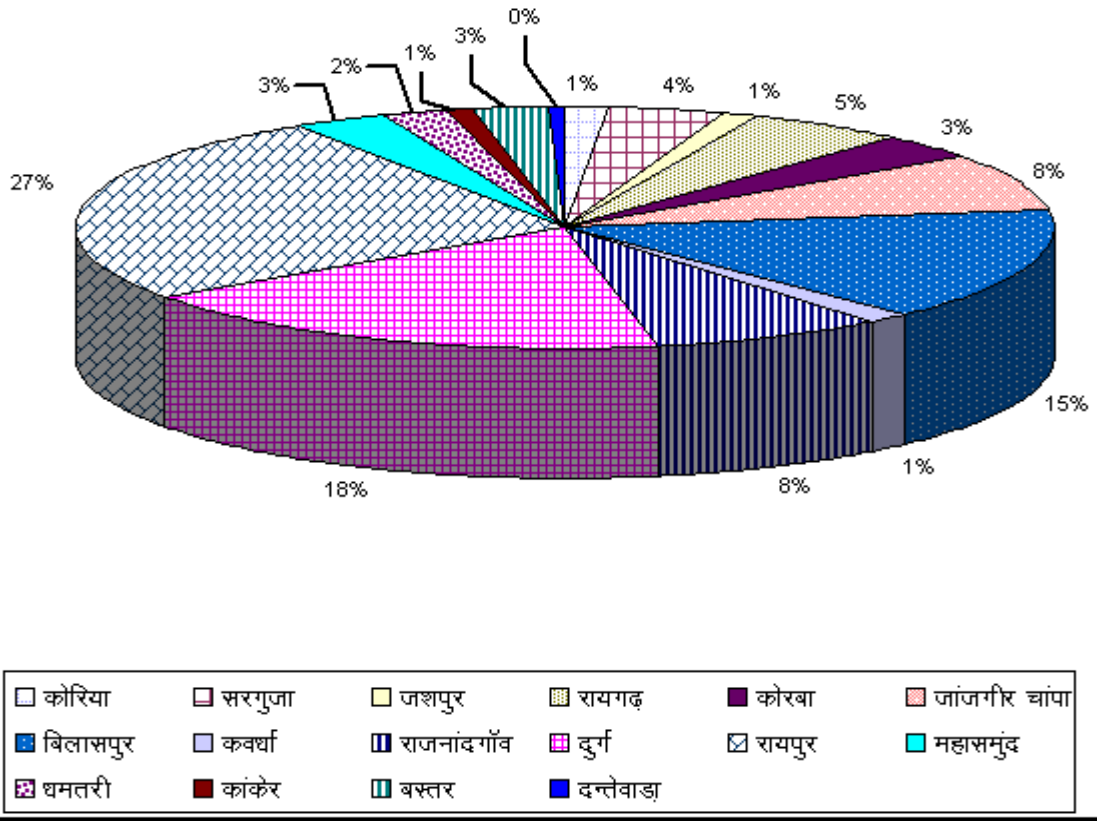

कार्यकलाप अनुसार पुरूष व महिला सदस्य

संदर्भ तालिका क.–6

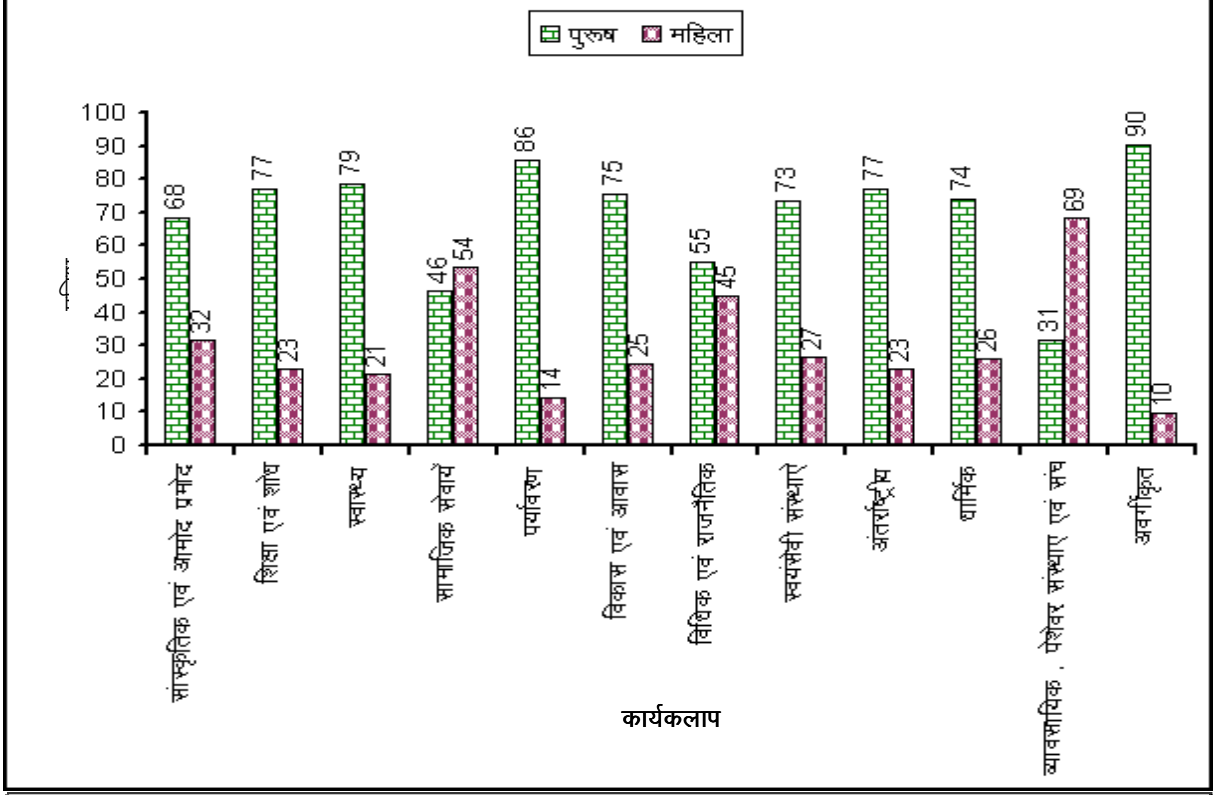

कार्यकलाप अनुसार पुरूष व महिला सदस्यों का प्रतिशत

संदर्भ तालिका क्र.6

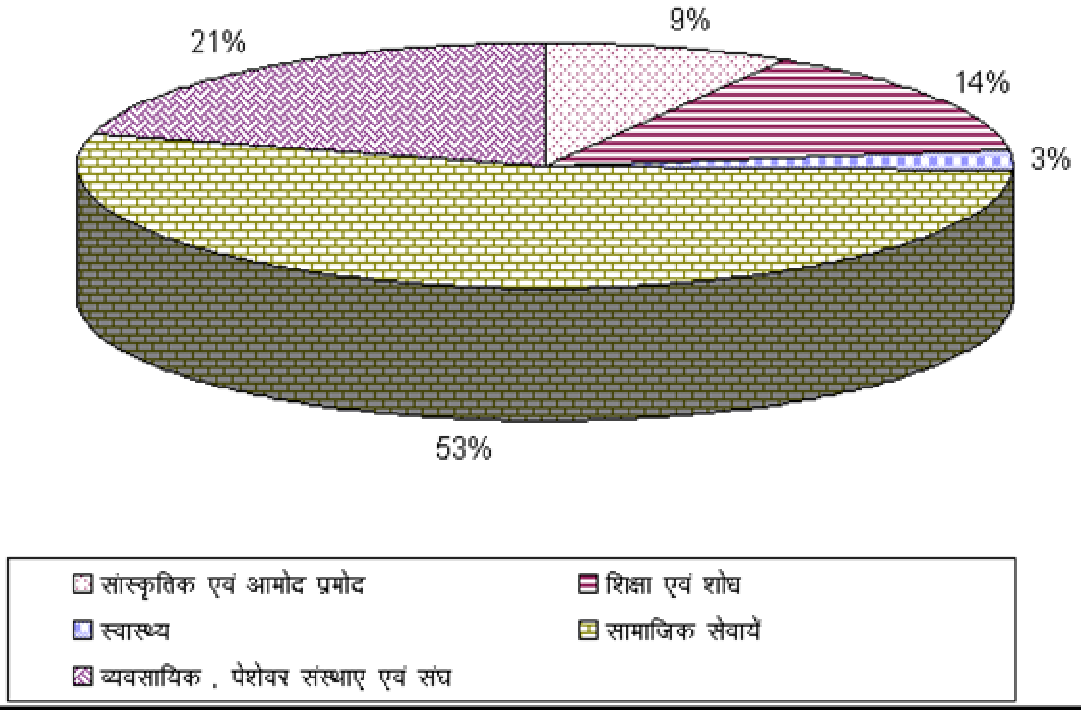

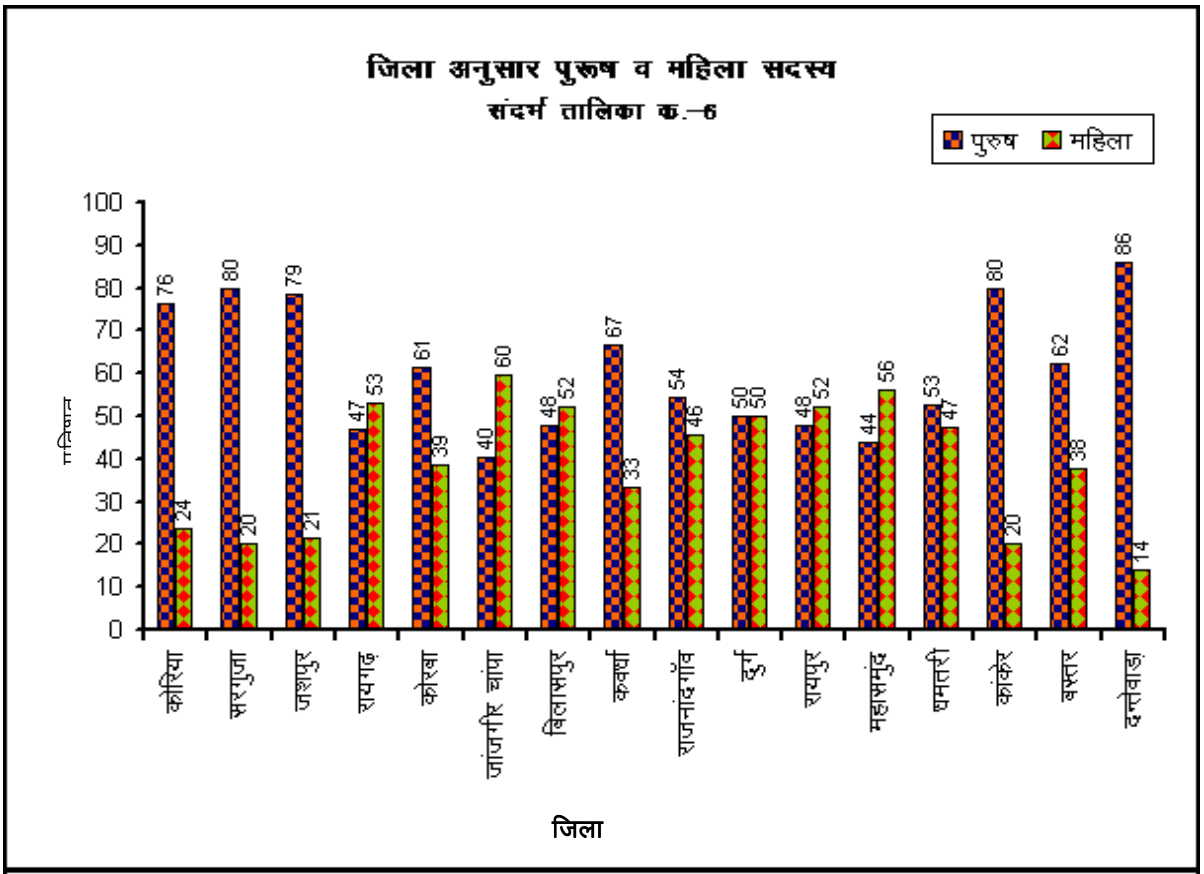
जिला अनुसार पुरूष व महिला सदस्य
संदर्भ तालिका क्र.–6
पुरुष
महिला
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
76
24
80
20
79
21
47
53
61
39
40
60
48
52
67
33
54
46
50
50
48
52
44
56
53
47
80
20
62
38
86
14
कोरिया
सरगुजा
जशपुर
रायगढ़
कोरबा
जांजगीर चांपा
बिलासपुर
कवर्धा
राजनांदगॉव
दुर्ग
रायपुर
महासमुंद
धमतरी
कांकेर
बस्तर
दन्तेवाड़ा
जिला

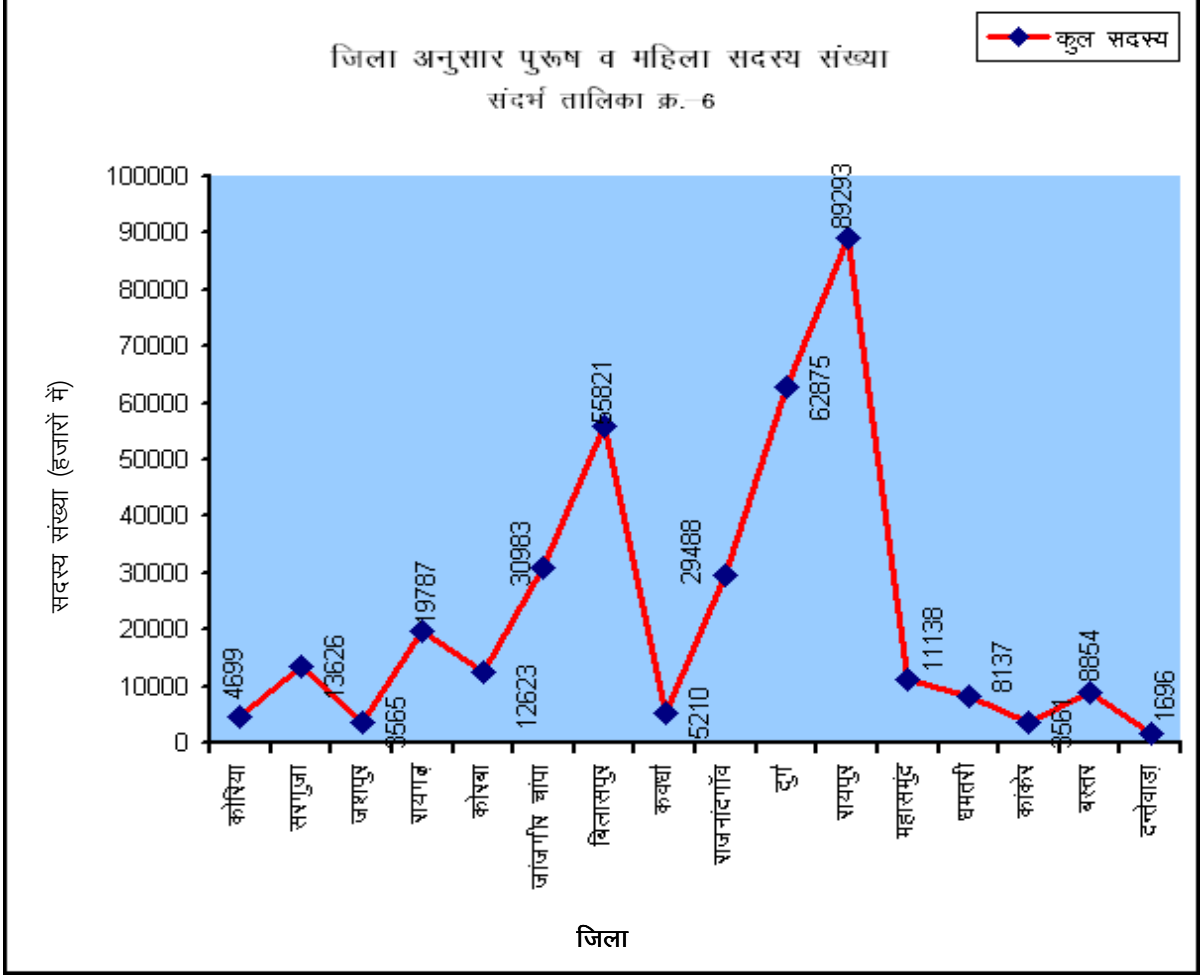
कुल सदस्य
जिला अनुसार पुरूष व महिला सदस्य संख्या
संदर्भ तालिका क्र.–6
सदस्य संख्या (हजारों में)
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
4699
13626
3565
19787
12623
30983
55821
5210
29488
62875
89293
11138
8137
3561
8854
1696
कोरिया
सरगुजा
जशपुर
रायगढ़
कोरबा
जांजगीर चांपा
बिलासपुर
कवर्धा
राजनांदगॉव
दुर्ग
रायपुर
महासमुंद
धमतरी
कांकेर
बस्तर
दन्तेवाड़ा
जिला

स्थान अनुसार कुल सदस्यों प्रतिशत

संदर्भ तालिका क्र.–7

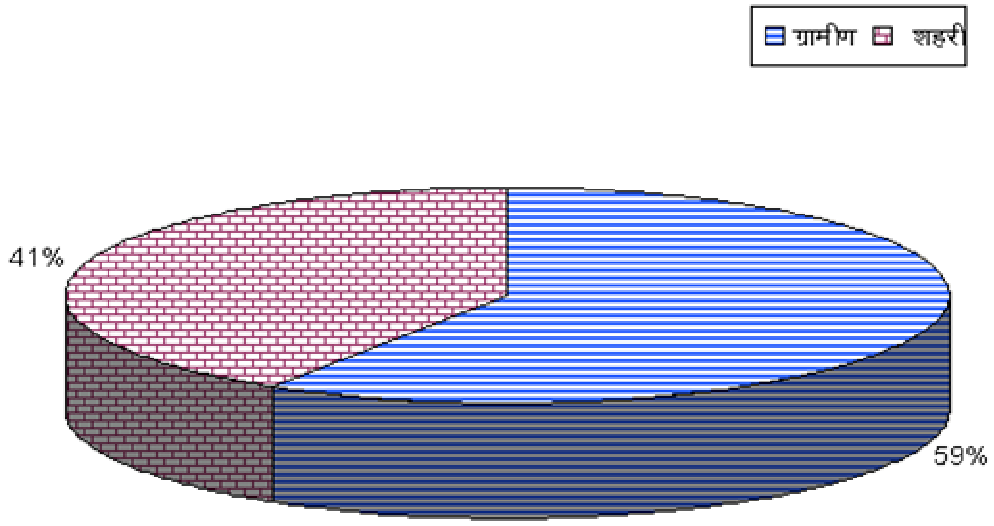

स्थान अनुसार पुरूष/महिला सदस्य

संदर्भ तालिका क्र.–7

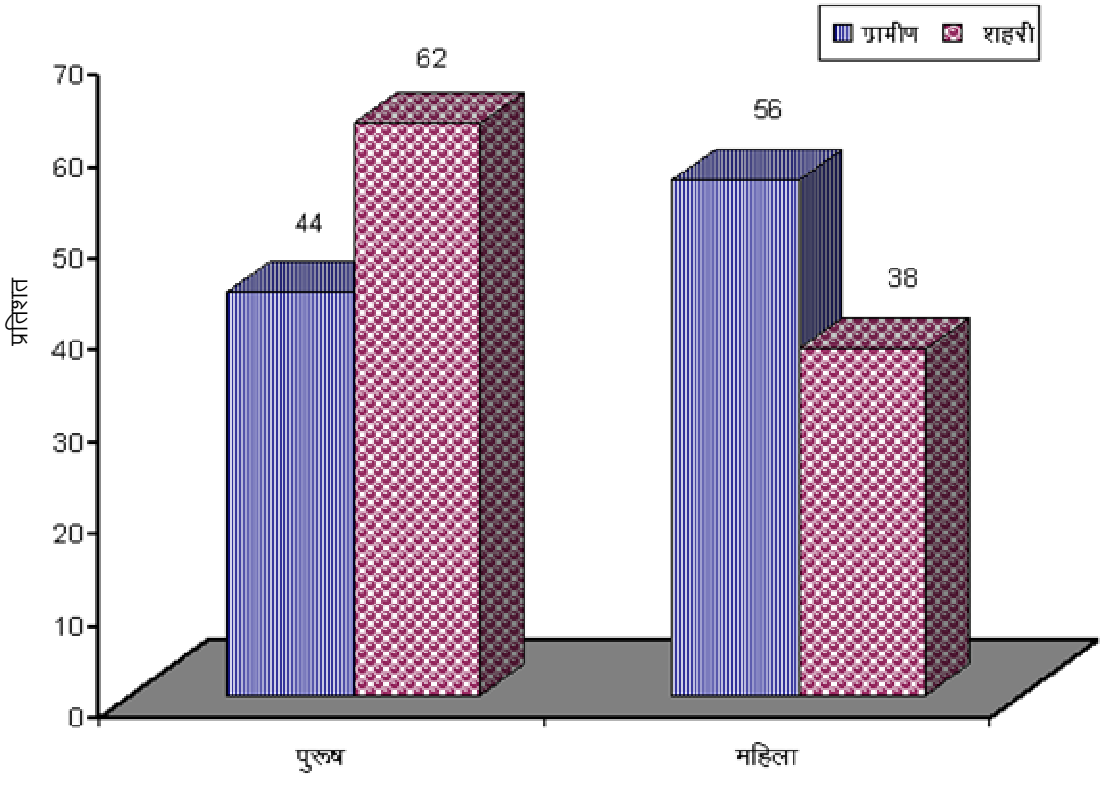

राज्य गठन पूर्व/पश्चात, ग्रामीण/शहरी संस्थाओं का प्रतिशत

संदर्भ तालिका क्र.–9

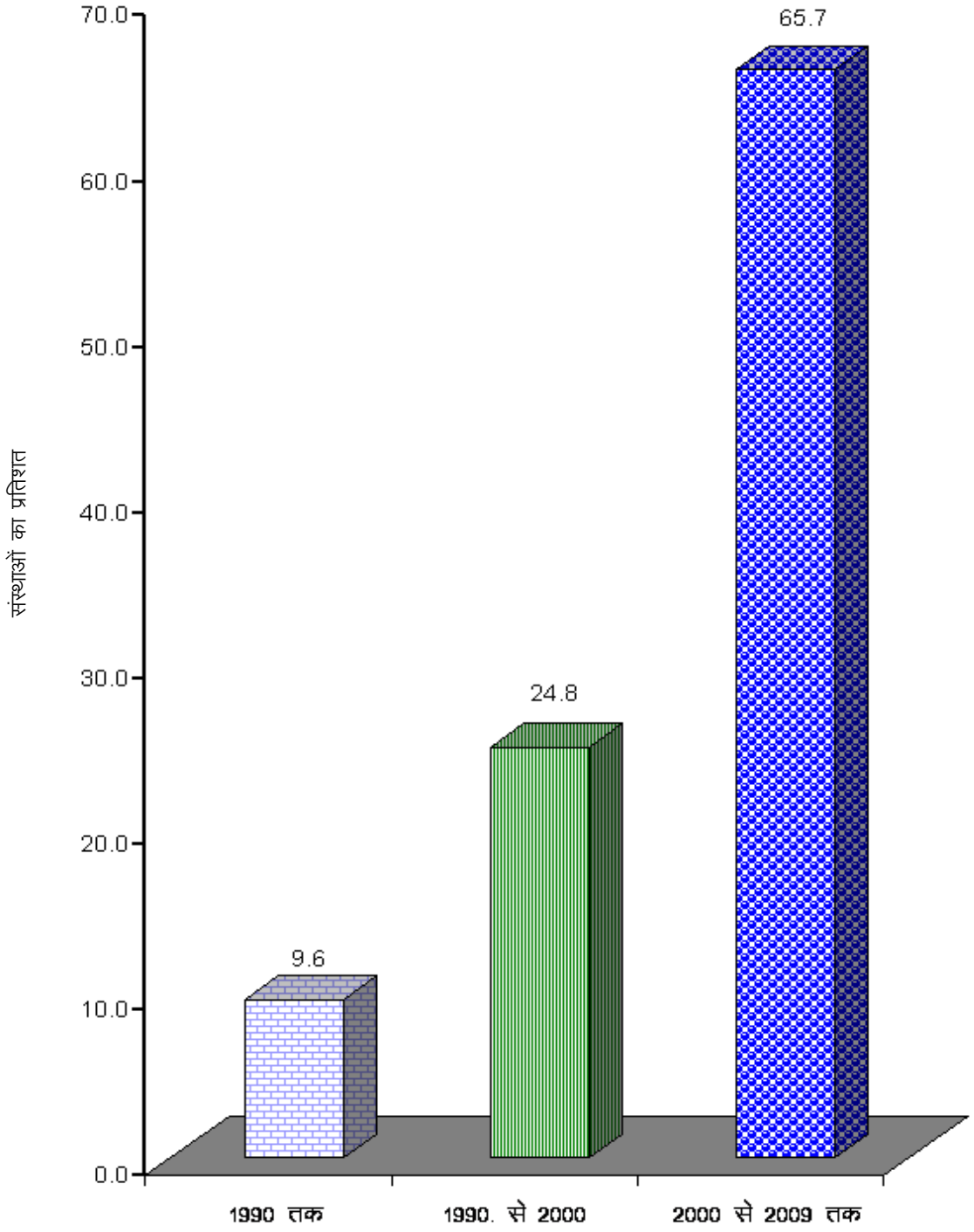

समिति पंजीयन हेतु मार्गदर्शिका

1. समिति/महिला मंडल/महिला स्व–सहायता समूह/नवयुवक मंडल के पंजीयन हेतु तीन–तीन मूल हस्ताक्षरित ज्ञापन एवं नियमावली की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

2. ज्ञापन पत्र, नियमावली निर्धारित आदर्श प्रारूप के अनुसार बनाया जाना चाहिए तथा उनमें संस्था के नाम, उद्देश्य एवं पता एक समान अंकित होना चाहिए।

3. ज्ञापन पत्र में कम से कम 7 अभिदाताओं के नाम, पिता का नाम, पूर्ण पते, उप–जीविका व मूल हस्ताक्षर होना आवश्यक है ।

4. संस्था द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य, शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक एवं जन कल्याण से संबंधित होना चाहिए ।

5. समिति का नाम पूर्व में पंजीकृत न हो, न ही भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विशिष्ट व्यक्तियों के नाम से हो ।

6. नियमावली के प्रत्येक पृष्ठ पर कम से कम तीन–तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है ।

7. ज्ञापन में अभिदाताओं के मूल हस्ताक्षर हो, किसी स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा अभिप्रमाणित होना आवश्यक है । साक्ष्य का नाम, पूर्ण पता, हस्ताक्षर इत्यादि पूर्णतः उल्लेखित होना चाहिए ।

8. प्रस्तुत ज्ञापन एवं नियमावली सुस्पष्ट, पठनीय होना चाहिए इसके लिए उचित होगा कि प्रस्तुत ज्ञापन एवं नियमावली टंकित अथवा कम्प्यूटर द्वारा प्रिंट किया हो । छायाप्रतियों में प्रस्तुत ज्ञापन एवं नियमावली स्वीकृत योग्य नहीं होंगे ।

9. पंजीयन हेतु शुल्क निर्धारित है– समिति का पंजीयन शुल्क 1500.00 रू. ,महिला मंडल हेतु 300.00 रू., महिला स्व–सहायता समूह 250.00 रू. एवं नवयुवक मंडल हेतु 150.00 रू. निर्धारित हैं, जो चालान द्वारा मद, ''1475 –अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें अथवा 200 –अन्य व्यापारिक विनियमन'' में जमा कराकर इसकी मूल प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करना आवश्यक है ।

10. त्रुटिपूर्ति उपरांत पंजीयन प्रकरण में रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें के पत्र क्रमांक व दिनांक का संदर्भ देना आवश्यक है ।

11. पंजीयन उपरांत प्रत्येक वर्ष आमसभा आयोजित कर उसका 45 दिवस के अंतर्गत धारा 27 के अंतर्गत कार्यकारिणी सूची 200.00 रू. और फाईलिंग शुल्क, चालान के साथ धारा 27 व 28 क अंतर्गत समिति में वार्षिक लेखा जोखा, आय–व्यय पत्रक 31 अप्रैल से 90 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

12. समिति के ज्ञापन एवं नियमावली के प्रतिलिपि हेतु 20.00 रू. प्रति पेज, एवं अर्जेन्ट 40.00 रू. के हिसाब से उपरोक्त उल्लेखित मद में चालान जमा कराकर प्रस्तुत किया जाना चाहिए । साथ ही 5.00 रू का कोर्ट टिकिट लगा हुआ हो, जिसमें संस्था के नाम, पता, पंजीयन क्रमांक, दिनांक इत्यादि 10.00 रू. स्टाम्प पेपर कोरा प्रति दस्तावेज हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

(नियम 3 देखिये)

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए सोसायटी का ज्ञापन

1. सोसायटी का नाम .....
.....होगा ।

2. सोसाइटी का प्रधान कार्यालय .....
तहसील.....जिला.....में स्थित होगा और
इसका पता.....होगा ।

3. सोसाइटी के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :–

(1)

(2)

(3)

(4)

4. सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध, सोसाइटी क विनियमों द्वारा गर्वनर, परिषद संचालक, समिति या शास.–निकाय को सौंपा गया है, जिनमें नाम, पता तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई है :–

अनुक्रमांक	नाम	पता	उपजीविका
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

5. छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसाइटी के विनियम का सम्यक रूप से प्रमाणित एक प्रति इस प्रतिष्ठान ज्ञापन के साथ फाइल की गई है, हम विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे गये है, उपरोक्त प्रतिष्ठान–ज्ञापन के अनुसरण मे सोसाइटी बनाने के इच्छुक हैं और नीचे दर्शाये गये अनुसार साक्षियों की उपस्थित में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।

अनुक्रमांक	अभिदाताओं के नाम तथा पूर्ण पते पिता/पति के नाम सहित		हस्ताक्षर
नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम/मोहल्ला/वार्ड तहसील/जिला	
(1) (2)	(3)	(4)	(5)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

तारीख.....

प्रति,

सोसाइटियों का रजिस्ट्रार

.....

.....

साक्षी

हस्ताक्षर.....

नाम .....

पूर्ण पता .....

.....

नियमावली

1. संस्था का नाम .....
.....होगा ।

2. संस्था का कार्यालय .....
म.न.....मोहल्ले का नाम .....
तहसील .....जिला .....
छत्तीसगढ़

3. संस्था का कार्यक्षेत्र.....छत्तीसगढ़ होगा ।

4. संस्था का उद्देश्य .....

(जो ज्ञापन पत्र में अंकित हैं वही लिखें)

(1).....
(2).....
(3).....
(4).....

5. **सदस्यता** :– संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे,

(अ) संरक्षण सदस्य :–संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये .....या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा ।

(ब) आजीवन सदस्यः–जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रूपये .....या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रूपये..... .....या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

(स) साधारण सदस्यः–जो व्यक्ति . .....माह रूपये .....प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए उसने चन्दा दिया है। जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों क छः माह तक देय चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है ।

(द) सम्मानीय सदस्यः–संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी उचित समझें सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा ।

6. **सदस्यता की प्राप्ति** :–प्रत्येक व्यक्ति जो समिति सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा । ऐसे आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र की स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।

7 **सदस्यों की योग्यता** :– संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :–
(1) आयु 18 वर्ष से कम न हो (2) भारतीय नागरिक हो (3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो (4) सद्‌चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो (5) महिला मंडल/महिला स्वसहायता समूह में केवल महिला ही सदस्य बन सकेंगे ।

8. **सदस्यता की समाप्ति** :–संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी

(1) मतैक्य हो जाने पर (2) पागल हो जाने पर (3) संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर (4) त्याग पत्र देने पर ओर वह स्वीकार होने पर (5) चरित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्यों को लिखित रूप में देनी होगी ।

9. **संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगें:–**

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय,
(2) वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं.
(3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो
(4) सदस्यों के हस्ताक्षर

10. **(अ) साधारण सभा:–** साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे, साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परन्तु वर्ष में एक बार अनिवार्य होगी । बैठक का माह ..... होगा तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर जुलाई में बुलाई जावेगी उसमें संस्था के पदाधिकारियों को विधिवत निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा ।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा :– प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता तो बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी ।

(स) विशेष :–यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप में बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी, विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा । पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

11. **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य** :–(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक वितरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना (ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना (ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना

जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना (छ) बजट का अनुमोदन करना ।

12. **प्रबंधकारिणी का गठन** :– नियम 5 (अ,ब,स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर मे दर्ज हों बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियो तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा
(1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) कोषाध्यक्ष (5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य 2.

13. **प्रबंध समिति का कार्यकाल :–** प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा या समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणो से नहीं हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा

14. **प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य :–**

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।

(ब) पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक मे प्रस्तुत करना ।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओ के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।

(द) कर्मचारियों ,शिक्षको आदि की नियुक्ति करना.

(ई) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाए .

(च) संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी अन्यथा अर्जित या अंतरित नहीं की जाएगी।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत मे संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।

15. **अध्यक्ष के अधिकार** :– अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठको का आयोजन करवायेगा. अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा ।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार** :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा. अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा ।

17. **सचिव (मंत्री) के अधिकार :–**

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकरिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना ।

(2) समिति की आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना ।

(3) समिति के सारे कागजातों के तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसी सूचना प्रबंधकारिणी को देना ।

(4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपयें ..... व्यय करने का अधिकार होगा ।

18. **संयुक्त सचिव के अधिकार** :– सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा ।

19. **कोषाध्यक्ष के अधिकार** :– समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

20. **बैंक खाता** :– संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी, धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा, दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपयें ..... रहेंगे ।

21. **पंजीयन को भेजी जाने वाली जानकारी :–** अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था की परीक्षित लेखा मय–नियत शुल्क के साथ भेजेगी ।

22. **संशोधन** :– संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा, यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाऐं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा. संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय–नियत शुल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी ।

23. **विघटन** :– संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 3/5 से पारित किया जावेगा. विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी. उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।

24. **सम्पत्ति** :– संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी. संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी ।

25. **बैंक खाता** :– संस्था की समस्त निधि का किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट–आफिस में खोला जावेगा एवं समय–समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी

26. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :–** संस्था की पंजीयन नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं

संस्थाऐं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा. साथ यही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।

27. विवाद. :– संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा. यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे. रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा. संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा ।

समिति के पंजीयन पश्चात् क्या करें, हेतु मार्गदर्शन

(1) पंजीयन के तुरंत बाद क्या किया जाना चाहिये :–

1. कार्यकारिणी एवं आमसभा की पंजी बनाना चाहिये ।
2. सूचना पंजी बनाना चाहिये ।
3. कैश–बुक, लेजर –बुक लिखना प्रारंभ करना चाहिये ।
4. बैंक में खाता खोलना चाहिये ।
5. सदस्यता पंजी संधारित कर सदस्यता हेतु आवेदन पत्र एवं सदस्यता रसीद कट्टा बनाना चाहिये ।

(2) पंजीयन के तीन माह के भीतर क्या किया जाना चाहिये :–

1 पंजीयन के पश्चात् तीन माह के भीतर प्रथम आमसभा का आयोजन करते हुए इसमें कार्यकारिणी पदाधिकारियों का निर्वाचन कराया जाना चाहिये ।

(3) पंजीयन के पश्चात् प्रतिवर्ष क्या–क्या कार्यवाही होना चाहिये :–

1 प्रतिवर्ष आमसभा के आयोजन करते हुए इसका कार्यवाही विवरण आमसभा पंजी में लिखना चाहिये तथा इसकी जानकारी आमसभा के 45 दिवस के भीतर धारा 27 के प्रारूप पर कार्यकारिणी मूलतः प्रस्तुत करना चहिए जिसमें संलग्न प्रारूप मे कार्यरत कार्यकारिणी पदाधिकारियों के विवरण, मूलहस्ताक्षर के साथ होना चाहिए। रूपये 200.00रू. के चालान के साथ इस कार्यालय मे जमा करना चाहिये। यदि नियमावली में आमसभा का मास नियत है तो इसके 45 दिवस अन्यथा 31 जनवरी के 45 दिवस के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

2 चालान का लेखा शीर्ष इस प्रकार हैः–
''1475 – अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें
200 – अन्य व्यापारिक उपक्रमों का विनियमन''

3 अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत 30 अप्रैल से 90 दिवस के भीतर समिति के आय –व्यय पत्रक, बैलेंश शीट इत्यादि रूपयें 200/– चालान के फाईलिंग शुल्क के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिये। यदि रूपयें 1 लाख से अधिक का टर्न ओवर है तो चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा परीक्षित लेखा प्रस्तुत किया जाना चाहिये । यदि संस्था के नियमावली वार्षिक आमसभा का माह नियत नहीं है तो उन्हे 30 अप्रैल से 90 दिवस के

भीतर जानकारी प्रस्तुत किया जाना चाहिए अन्यथा निर्धारित मास के 90 दिवस के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4. यदि उपरोक्त जानकारी निर्धारित अवधि में नहीं दिया जाता है तो उपरोक्त शुल्क का दुगुना चालान प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

(4) उपरोक्त धारा 27 एवं 28 की जानकारी प्रस्तुत करने की जवाबदारी पंजीकृत सोसायटी पर ही है यह जानकारी डाक द्वारा भी प्रेषित किया जा सकता है।

(5) नियमों में संशोधन के लिये एवं पते में परिवर्तन के लिये इस कार्यालय मे धारा 10 के आवेदन पत्र पर जानकारी प्रस्तुत करते हुए संशोधन का प्रमाण पत्र लेना चाहिये।

(6) भूमि खरीदने, बेचने हेतु धारा 21 के पत्र पर नियमानुसार आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करते हुए पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना चाहिये।

(7) आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन/जानकारी पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं छ.ग रायपुर के दूरभाष क्रं. 0771–2282549 एवं 0771–4052547 से भी प्राप्त की जा सकती हैं।

(नियमित उपयोग की दृष्टि से इस मार्गदर्शन विवरण को संस्था/समिति के कार्यालय तक चस्पा कर रखा जा सकता है)